RojgarHub.com - Rojgar Samachar Daily

बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

सहायक अभियोजन पदाधिकारी मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा

विज्ञापन सं.– 01/2020 के अधीन गृह विभाग, अभियोजन निदेशालय के आरक्षण कोटिवार रिक्त कुल 553 (पाँच सौ तिरपन) पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक–07.02.2021 को आयोजित सहायक अभियोजन पदाधिकारी (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में 5470 सफल उम्मीदवारों से मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जिन उम्मीदवारों द्वारा पूर्व में ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश इस विज्ञापन के साथ बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रदर्शित है।

रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है :–

क्र. सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित	225	77
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	55	17
3.	अनुसूचित जाति	88	33
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	88	39
6.	पिछड़ा वर्ग	74	22
7.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	22	00
	कुल	**553**	**188**

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक'–2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	**11**

3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या		
(i)	दृष्टि बाधित (VI)	06
(ii)	मूक बधिर (DD)	05
(iii)	अस्थि विकलांग (OH)	06
(iv)	मनोविकार/बहुदिव्यांग	06

2. वेतनमानः– Level-09

3. **शैक्षणिक योग्यता** :–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक और नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक की वह डिग्री होगी जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन हेतु अनिवार्य है।

4. उम्र सीमाः– दिनांक–01.08.2019 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)– 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला– 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)– 42 वर्ष।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 212, दिनांक– 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो अंतिम विज्ञापन/परीक्षा के समय उम्र के आधार पर पात्रता रखते थे, जो दिनांक–01.08.2013 से 01.08.2019 तक की अवधि में अधिकतम उम्र सीमा से अधिक उम्र के हो गये हैं, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं, जिन्होने निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिया है।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–13062, दिनांक–12.10.2017 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। **दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।**

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 2447, दिनांक– 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

5. **चयन का आधार :– नियुक्ति हेतु चयन, प्रारम्भिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।**

लिखित (मुख्य) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् है :–

मुख्य परीक्षाः– मुख्य परीक्षा में निम्नांकित पत्र होंगेः–

क्र0 सं0	पत्र	विषय	पूर्णांक
1.	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100
2.	द्वितीय पत्र	हिन्दी भाषा	100
3.	तृतीय पत्र	अंग्रेजी भाषा	100
4.	चतुर्थ पत्र	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	150
5.	पंचम पत्र	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	150
6.	षष्ठम् पत्र	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973	150
7.	सप्तम पत्र	अन्य विधि	150

मुख्य परीक्षा में विवरणात्मक प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगाः–

(i) प्रथम पत्र– सामान्य अध्ययन– इस पत्र में सामान्य ज्ञान, (समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित), सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज व्यवस्था तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकते है।

(ii) द्वितीय पत्र– हिन्दी भाषा– इस पत्र का स्तर वही होगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिन्दी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत हिन्दी का है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल हिन्दी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध–शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर हिन्दी की सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। **इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।**

(iii) तृतीय पत्र–अंग्रेजी भाषा– इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध–शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर अंग्रेजी के सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। **इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।**

(iv) चतुर्थ पत्र– भारतीय दण्ड संहिता, 1860

(v) पंचम पत्र– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872,

(vi) षष्ठम पत्र– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973,

(vii) सप्तम् पत्र– अन्य विधि– इस पत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगेः–

(क) शस्त्र अधिनियम, 1959,
(ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
(ड़) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
(च) पॉक्सो अधिनियम, 2012

➤ क्रम संख्या–**(iv)** से **(vii)** पर अंकित विषयों के प्रश्नों का स्तर वही होगा, जो पटना विश्वविद्यालय के विधि स्नातक परीक्षा के लिए निर्धारित है।

(3) साक्षात्कारः– साक्षात्कार हेतु 100 अंक निर्धारित है।

नोटः 1 – साक्षात्कार हेतु वैसे ही उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा जो हिन्दी और अंग्रेजी को छोड़कर शेष अन्य विषयों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2008 द्वारा विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक, यथा, सामान्य श्रेणी– 40%, पिछड़ा वर्ग– 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 34%, तथा अनुसूचित् जाति, जनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवार–32% अंक, प्राप्त करेंगे।

नोटः 2 – कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में लिखित

परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अधियाचित रिक्तियों के ढ़ाई गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

नोटः3 – मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

नोटः4 – मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधाक्रम में उपर रखा जायेगा। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जायेगा, वैकल्पिक विषय का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मदीवारों के नाम को दवेनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जायेगा।

5. <u>आरक्षण</u>:

(i) प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा एवं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं है।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी (निवासी) को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **ऑनलाईन आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

(iii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा डब्लू.पी.सी. संख्या–1052/सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनाक 21.02.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के ज्ञापांक–6026, दिनांक 19.04.2022 के आलोक में Lohar (लोहार) जाति को विभागीय परिपत्र संख्या–10818, दिनांक 08.08.2018 (गजट अधिसूचना संख्या–699, दिनांक 23.08.2016) को निरस्त करते हुए बिहार राज्य के लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी अनुमान्य सुविधाओं के स्वतः रद्द हो जाने की स्थिति में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का आरक्षण पूर्व की भाँति अनुमान्य होगी। तदालोक में बिहार राज्य के लोहार जाति के उम्मीदवारों को उक्त कोटि के लाभ हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोटः–लोहार जाति के वैसे उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में अनुसूचित जनजाति (03) के आरक्षण का लाभ लेते हुए आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण की है, वे सभी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04) के अंतर्गत आरक्षण के लिए मान्य होंगे।

(iii) (A)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के दिन मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।**

(iv)सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–13062, दिनांक–12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों के लिए नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध निःशक्तता/दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(v)सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vi)सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(vii)**सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–10668, दिनांक 29.06.2022 के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–2(r) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। श्रुतिलेखक की योग्यता आयोजित परीक्षा के स्तर से उपर के स्तर की नहीं होगी जबकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या इसके स्तर की होगी।**

बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित समय के साथ–साथ प्रतिघंटा 20 मिनट की दर से तीन घंटा के लिए अधिकतम 60 मिनट अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।

(viii)**सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। उक्त आलोक में प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।**

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

<u>शुल्क</u> :–

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 750/–(सात सौ पचास) रूपये

नोट :– पूर्व में लोहार जाति का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के समान शुल्क अर्थात 750/– (सात सौ पाचस) रूपये जमा करना अनिवार्य होगा।

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार एवं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी, जो बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला/दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा उसी अनुरूप में परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। लेकिन भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला उम्मीदवारों, दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं। **प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन के समय भरे गये कोटि के अनुसार परीक्षा शुल्क मान्य होगा। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। (लोहार जाति के उम्मीदवारों को छोड़कर)।**

7. <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं</u>:–

1.	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 21.09.2022 तक
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 07.10.2022 तक

नोटः–उम्मीदवारों को हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(i) मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में कतिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे एवं कतिपय बॉक्स रिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा सहायक अभियोजन पदाधिकारी (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वहीं सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी एवं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। आवेदक उक्त ऑनलाइन आवेदन के खाली बॉक्स में सूचना भरते हुए आवेदन के अन्त में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र/कागजात की विवरणी भरेंगे।

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) **इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

(iv) **ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान** (Unsuccessful Payment/ Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) **के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।**

(v) **मात्र भुगतान कर लेने से यह नहीं माना जायेगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भर लिया गया है।**

8. **अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है।**

9. **योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 21.02.2020 तक या पूर्व का होना आवश्यक है।**

10. **आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

11. **आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।**

12. **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।**

13. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

16.9.22

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।